वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2007

आय-कर

का.आ. 37(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उप-धारा (2) के खण्ड (xvi) के उप-खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको भवन, इण्डिया हैबिटेट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली) की दस अरब रुपए की रकम की लोक निक्षेप स्कीम को उक्त उप-खण्ड के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

2. अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 02/2007/फा. सं. 149/299/2005-टीपीएल]

शोभन कर, अवर सचिव